



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 4, 2012/आश्विन 12, 1934

No. 1977]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2012/ASVINA 12, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(एमआरटीएस-II)

(MRTS-II)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2012

New Delhi, the 4th October, 2012

का.आ. 2359(अ).—केन्द्र सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सुरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य सर्किल, सिकंदराबाद को हैदराबाद मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजनाओं के संबंध में मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नियुक्त करती है।

S.O. 2359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby appoints the Commissioner of Railway Safety, South Central Circle, Secunderabad, to act as the Commissioner of Metro Railway Safety in respect of the Metro Railway Projects in Hyderabad Metropolitan Area with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[फा. सं. के-14011/5/2011-मेट्रो]

[F.No. K-14011/5/2011-Metro]

बिमल कुजूर, अवर सचिव

BIMAL KUJUR, Under Secy.